न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 253 / 2024
अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1. मांगीलाल पत्र भवराराम जाति भील निवासी बुरहान का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. तहसीलदार धनाऊ 2. छगन पुत्र पन्ना 3. जुड़ाराम पुत्र भंवराराम 4. जयन्ती पुत्र पन्ना 5. बबरी पत्नी पन्ना 6. मोहन पुत्र भंवरा 7. हकाराम पुत्र भंवरा जाति भील निवासी बुरहान का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री उम्मेदसिंह सोढ़ा
विप्रार्थीगण वकील – श्री विक्रमसिंह भाटी (विप्रार्थी सं. 2 से 7)

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.12.2025

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 2 से 7 की संयुक्त व पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा बुरहान का तला तहसील धनाऊ के खेत खसरा नम्बर 1046 / 492, 800 / 259 रकबा क्रमशः 8.1504, 0.7608 हैक्टेयर का आया हुआ है। विवादग्रस्त भूमि पहले प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 2 से 7 के मुतवफी कचरिया उर्फ कचरा (प्रार्थी के दादा) के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा प्रार्थी के पिता भंवराराम का देहान्त प्रार्थी के दादा से पूर्व हो चुका था इस कारण प्रार्थी के दादा के देहान्त के बाद प्रार्थी का नाम दर्ज हुआ था। कचरिया उर्फ कचरा के फौत होने पर प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 2 से 7 के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हुई परन्तु कचरिया उर्फ कचरा की फौतगी के समय पारित नामान्तरकरण संख्या 315 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 16:15:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

का वास्तविक नाम मांगीलाल अंकित न कर उसके स्थान पर मगूराम अंकित कर दिया जो गलत है क्योंकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगीलाल पुत्र भंवरराम है।

राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को अपने राजस्व संबंधी समस्त कार्य करने में काफी परेशानियां आ रही है। प्रार्थी अपना नाम मंगूराम पुत्र भंवरराम की जगह सही नाम मांगीलाल पुत्र भंवरराम शुद्ध करवाने हेतु यह राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण सं. 2 से 7 की ओर से श्री विक्रमसिंह भाटी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार धनाऊ से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार धनाऊ द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम मंगूराम के स्थान पर सही नाम मांगीलाल दुरूस्त किये जाने बाबत् रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

पत्रावली पेश हुई। विप्रार्थी सं. 2 से 7 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रार्थी मंगूराम के स्थान पर मांगीलाल नाम दुरूस्त किये जाने बाबत् अनापत्ति जाहिर की गई। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील धनाऊ मौजा बुरहान का तला के खसरा सं. 1046/492, 800/259 रकबा क्रमशः 8.1504, 0.7608 हैक्टेयर में दर्ज मंगूराम के स्थान पर मांगीलाल नाम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सख्या से एक ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 16:15:59 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन